फर्द अहकाम

गोमसिंह बनाम उमेदसिंह व अन्य

न्यायालय

केस संख्या 45/2019 प्राप्त अस्थाई निषेधाज्ञा 2019/00112

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14/11/19	श्री मुकेश शर्मा एड. ने प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर से चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर है। वकील प्रार्थी की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजी सं. 743, 743/869 किता 2 कुल रकबा 1.00 हे. वाके ग्राम किशनसिंह का बास पं० गुडलिया तह० चौमू जिला जयपुर के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इसमें कोई आपत्ति है तो आगामी पेशी दिनांक 13/12/19 को पेश करे। नोटिस जारी हो। Devyani सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	
	13/12/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनीय अधिवक्ता उप० प्रार्थी कार्रवाई मूल वाद विद्या का लिया है अब इस प्रार्थना में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है विद्या के आधार पर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली के तहत गुमा हुआ दर्ज नम्बर से काम है तथा मूल वाद के साथ है। Devyani सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	गोमसिंह Encl. [illegible]

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2020.02.04 16:30:25 IST
Reason: SelfAttested